न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान भालू राम बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 45....../2026
निर्णय दिनांक 26/02/2026

भालू राम पुत्र रेखा राम जाति नायक निवासी झोथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 70 खसरा सं. 136 तादादी 3.5912 हैक्ट, ख.नं. 365 तादादी 2.6175 है0, ख.नं. 80 तादादी 1.3657 है0, ख.नं. 86 तादादी 10.0907 है0 भूमि में बालूराम पुत्र रखाराम है जबकि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में नाम भालू राम पुत्र रेखा राम है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बालूराम पुत्र रखाराम के स्थान पर भालू राम पुत्र रेखा राम अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक एल.आर/208 दिनांक 09.02.2026 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के प्रार्थी का नाम जमाबंदी में बालूराम पुत्र रखाराम है जबकि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम भालू राम पुत्र रेखा राम है। अतः बालूराम पुत्र रखाराम की जगह प्रार्थी का नाम भालू राम पुत्र रेखा राम करने की कृपा करें।

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम बालूराम पुत्र रखाराम व भालू राम पुत्र रेखा राम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है तथा बालूराम पुत्र रखाराम की बजाय भालू राम पुत्र रेखा राम किये जाने की अभिशंषा की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भालू राम पुत्र रेखा राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बालूराम पुत्र रखाराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 70 खसरा सं. 136 तादादी 3.5912 हैक्ट, ख.नं. 365 तादादी 2.6175 है0, ख.नं. 80 तादादी 1.3657 है0, ख.नं. 86 तादादी 10.0907 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम बालूराम पुत्र रखाराम **Delete** कर इसके स्थान पर भालू राम पुत्र रेखा राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)